प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र.नि.ब्यूरो, राजसमन्द (राज0), थाना प्र.आ.के.,भ्र0नि0ब्यूरो,जयपुर, **वर्ष 2022**
प्र.ई.रि.सं......470/22...... दिनांक 12/12/2022

2.—(1) **अधिनियमः— भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018** धारा **7**
(2) अधिनियम धारा
(3) अधिनियम धारा..........................—..............................
(4) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....—..........................

3.—(अ) **रोजनामचा आम रपट संख्या**............223..........समय.........2:00 P.M.
(ब) अपराध के घटने का दिन **सोमवार, दिनांक 17.10.2022, समय 03.47 पी.एम**
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 16.10.2022 समय 07.15 पी.एम

4.—**सूचना की किस्मः— लिखित/मौखिकः—लिखित**

5—**घटनास्थलः— पुलिस थाना देवगढ जिला राजसमन्द**
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः— **दिशा—उत्तर बफासला 70 किलोमीटर**
(ब) पता...
....बीट संख्या ....जरायमदेही सं...................
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं,तों पुलिस थाना................जिला.............

6.— **परिवादी/सूचनाकर्ता :—**
(अ).—नाम :— **श्री सुरेश कुमार**
(ब).—पिता का नाम :— **श्री गोपीलाल जी सालवी**
(स).—जन्म तिथि :— **उम्र 28 वर्ष,**
(द).—राष्ट्रीयता :— **भारतीय**
(य).—पासपोर्ट संख्या........—.........जारी होने की तिथि........—..........जारी होने की जगह.....—.
.... (र).—व्यवसायः—प्राईवेट नोकरी
(ल).—पता :— **निवासी—गांव भचरडिया, पुलिस थाना देवगढ जिला राजसमन्द**

7.— **ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :—**.................
श्री पारस मल खटीक पुत्र श्री रतन लाल खटीक निवासी पलाना कलां, पुलिस थाना मावली, जिला उदयपुर तत्कालिन उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना देवगढ, जिला राजसमन्द हाल रिजर्व पुलिस लाईन राजसमन्द

8.— **परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तिला देने में विलम्ब का कारणः—कोई नही**

9.— **चुराई हुई/लिप्त सम्पति की विशिष्टिया (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।)**
आरोपी श्री पारसमल पुलिस उप निरीक्षक, पुलिस थाना देवगढ जिला राजसमन्द द्वारा परिवादी श्री सुरेश कुमार व उनके परिजनों के खिलाफ पुलिस थाना देवगढ पर दर्ज प्रकरण को रफा दफा करने के नाम पर परिवादी से रिश्वत राशि 10,000 रूपये की मांग करना तथा दौराने मांग सत्यापन वार्ता रिश्वत राशि 10,000 रूपये की मांग कर एक—एक हजार रूपये माफ करने के बाद कुल 8000 रूपये की मांग कर 4000—4000 रूपये परिवादी श्री सुरेश कुमार व उसके बडे पापा श्री भेरूलाल जी को देने के लिये कहना व दौराने मांग सत्यापन परिवादी से 2000 रूपये व उसके बडे पापा श्री भेरूलाल जी से 3000 रूपये कुल 5000 रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त करना तथा शैष रिश्वत राशि 3,000 रूपये एक दो—दिन में प्राप्त करने हेतु सहमत होना।

10.—**चुराई हुई/लिप्त सम्पति का कुल मूल्य** (आरोपी द्वारा रिश्वत राशि 10,000 रूपये की मांग कर 8,000 रूपये प्राप्त करने हेतु सहमत हो दौराने मांग सत्यापन 5,000 रूपये प्राप्त करना व शैष 3,000 रूपये एक दो—दिन में प्राप्त करने हेतु सहमत होना)

11.—**पंचनामा/यू.डी.केस संख्या (अगर हो तो)**....................................—.........................

12.—**विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।)**

महोदय जी,

वाकियात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 16.10.2022 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मुख्यालय राजस्थान जयपुर से मन् पुलिस उप अधीक्षक को परिवादी श्री सुरेश के मोबाईल नम्बर 9828209491 सुपूर्द किये एवं परिवादी से सम्पर्क कर शिकायत के अनुरूप अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी के मोबाईल नम्बर 9828209491 पर संपर्क कर वार्ता की तो परिवादी ने अपना नाम सुरेश कुमार पुत्र श्री गोपीलाल जी सालवी निवासी भचरडिया पुलिस थाना देवगढ जिला राजसमन्द होना बताया। परिवादी सुरेश कुमार ने मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि पुलिस थाना देवगढ पर परिवादी व उसके छोटे भाई श्री शांतिलाल एवं बडे पापा श्री भेरूलाल जी व उनके लडके श्री छोटुलाल व सुखदेव के खिलाफ प्रकरण संख्या 136/22 दर्ज हैं। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी पारसमल जी द्वारा उक्त प्रकरण को रफा दफा करने के नाम पर उससे व उसके बडे पापा श्री भेरूलाल जी से रिश्वत राशि 10,000 रूपये की मांग की जा रही हैं। मन् पुलिस उप अधीक्षक ने परिवादी को ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होकर रिपोर्ट देने के लिए कहा तो परिवादी ने बताया कि थानेदार पारसमल ने उसे दिनांक 17.10.2022 को थाने पर उपस्थित होने के लिए कहा हैं इसलिए वह ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने में असमर्थ हैं। तत्पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा ब्यूरो में कार्यरत श्री भंवरदान कानि नम्बर 414 को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाया व रिश्वत राशि मांग संबंधी कार्यवाही बाबत अवगत कराया परिवादी श्री सुरेश कुमार के मोबाईल नम्बर 9828209491 देकर हिदायत दी कि ब्यूरो कार्यालय के मालखाने से डिजिटल वाईस रिकार्डर मय खाली मेमोरी कार्ड लेकर दिनांक 17.10.2022 को ब्यूरो कार्यालय से रवाना हो देवगढ पहुंच कर परिवादी से सम्पर्क करें तथा रिश्वत राशि के सम्बन्ध में परिवादी का प्रार्थना पत्र लेकर सत्यापन की कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

तत्पश्चात दिनांक 17.10.2022 को समय करीब 04.20 पी0एम पर कानि0 भंवरदान नम्बर 414 ने अपने मोबाईल से फोन कर बताया कि निर्देशानुसार ब्यूरो कार्यालय के मालखाने से डिजिटल वाईस रिकार्डर मय खाली मेमोरी कार्ड प्राप्त कर समय 08.30 ए0एम पर ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द से रवाना हो देवगढ पहुंच परिवादी श्री सुरेश कुमार से सम्पर्क कर परिवादी से एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र प्राप्त किया तथा परिवादी श्री सुरेश कुमार को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के संचालन की विधि की समझाईस कर आवश्यक हिदायत कर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालु कर समय 03.47 पी0एम पर परिवादी को सुपुर्द कर पुलिस थाना देवगढ में श्री पारसमल थानेदार से वार्ता करने हेतु रवाना किया। तत्पश्चात करीब 10–12 मिनट बाद परिवादी श्री सुरेश कुमार बाद सत्यापन की कार्यवाही के उपस्थित आया। परिवादी से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर प्राप्त किया जो चालु हालत में था जिसे बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। इसके पश्चात कानि0 भंवरदान नम्बर 414 ने मन् पुलिस उप अधीक्षक की परिवादी से वार्ता करवाई तो परिवादी श्री सुरेश कुमार ने मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि वह डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के साथ पुलिस थाना देवगढ के अन्दर गया जहां पर उसके बडे पापा भेरूलाल जी पहले से ही पुलिस थाना देवगढ में मौजुद थे। वह और उसके बडे पापा थानेदार पारसमल के कक्ष में गये जहां पर थानेदार पारसमल से मिले तो श्री पारसमल थानेदार ने उसके व उसके छोटे भाई श्री शांतिलाल एवं बडे पापा श्री भेरूलाल जी व उनके लडके श्री छोटुलाल व सुखदेव के खिलाफ दर्ज प्रकरण 136/2022 में कोई कार्यवाही नही करने व प्रकरण को रफा दफा करने के संबंध में वार्ता की तथा वार्ता के दौरान श्री पारसमल थानेदार ने उससे व उसके बडे पापा श्री भेरूलाल जी से 10,000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग की। जिसमें से एक–एक हजार रूपये माफ करने के बाद कुल 8000 रूपये की मांग कर 4000–4000 रूपये उसे व बडे पापा श्री भेरूलाल जी को देने के लिये कहा। जिस पर परिवादी ने बताया कि 2000 रूपये स्वयं ने व 3000 रूपये उसके बडे पापा श्री भेरूलाल जी ने कुल 5000 रूपये श्री पारसमल थानेदार को दे दिये और शैष रिश्वत राशि 3000 रूपये श्री पासरमल थानेदार एक–दो दिन में प्राप्त करने हेतु सहमत हुए। परिवादी ने बताया कि आज सुबह थानेदार श्री पारसमल ने पुलिस थाना देवगढ में उसके व विपक्षी पार्टी के बीच में समझौते की कार्यवाही करायी, समझौते की कार्यवाही की लिखापढी भी हो गई और उसने आपसी समझौते के तौर पर विपक्षी पार्टी को 12,000 रूपये भी दे दिये हैं। इस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 3,000 रूपये की व्यवस्था कर एक–दो दिन में ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द पर उपस्थित होने एवं गोपनीयता बरतने की आवश्यक हिदायत दी। इसके पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा कानि0 भंवरदान नम्बर 414 को परिवादी श्री सुरेश कुमार को वही से रूखसत कर कानि0 भंवरदान को कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया। तत्पश्चात समय 07.15 पी0एम पर कानि0 भंवरदान नम्बर 414 ने मन् पुलिस उप अधीक्षक को कार्यालय कक्ष में आकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित प्रार्थना पत्र व डिजिटल वाईस रिकार्डर पेश किया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया तो परिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि पुलिस थाना देवगढ पर मेरे व मेरे बडे पापा के लडके के खिलाफ प्रकरण संख्या

136/22 दर्ज हैं उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी पारसमल जी द्वारा अनुसंधान किया जा रहा हैं। उनके द्वारा उक्त प्रकरण को रफा दफा करने के नाम पर मेरे व मेरे बडे पिताजी श्री भेरूलाल जी सालवी से बतौर रिश्वत 10,000/– दस हजार रूपयों की मांग की जा रही हैं। मैं रिश्वत राशि 10,000/– दस हजार रूपया पारसमल जी थानेदार साहब को नहीं देना चाहता हूं। मैं पारसमल जी थोनदार साहब को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हुं। मेरी पारसमल जी थानेदार साहब से व्यक्तिगत आपसी रंजिश नहीं है और ना ही हमारे बीच कोई आपसी लेन–देन बकाया हैं। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर सुना गया तो रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन होना पाया गया। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को कार्यालय के मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया। आईन्दा परिवादी के उपस्थित आने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। परिवादी द्वारा आरोपी से बार–बार मिलने का प्रयास करने के बावजूद भी परिवादी का आरोपी से सम्पर्क नहीं हो पाया।

तत्पश्चात दिनांक 01.11.2022 को परिवादी श्री सुरेश कुमार ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया। इसके पश्चात तलबशुदा दो स्वतंत्र गवाहान श्री मोहम्मद सिद्धीक मन्सूरी हाल वरिष्ठ सहायक व श्री नवीन कुमार हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये। परिवादी के बताये अनुसार आरोपी अपने तैनाती स्थान पर उपस्थित नहीं होने से अग्रिम ट्रेप कार्यवाही नहीं हो सकी।

तत्पश्चात दिनांक 06.11.2022 को परिवादी श्री सुरेश कुमार ने उपस्थित कार्यालय होकर मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि मैं, थानेदार साहब से संपर्क करने की कोशिश की परन्तु थानेदार साहब मुझसे मिलना नही चाह रहे है। मुझे ऐसा प्रतित होता है कि थानेदार साहब को मुझ पर शंका हो गयी है। अब मुझसे थानेदार साहब रिश्वत राशि ग्रहण नहीं करेंगे। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी को दो–तीन रोज बाद एक बार फिर से श्री पारसमल थानेदार से संपर्क करने की कोशिश करने की हिदायत की।

तत्पश्चात दिनांक 15.11.2022 परिवादी श्री सुरेश कुमार ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होकर मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि थानेदार श्री पारसमल से संपर्क करने की कोशिश की परन्तु थानेदार श्री पारसमल उससे नहीं मिले, थानेदार श्री पासरमल को उस पर संदेह हो गया है, अब वह उससे रिश्वत राशि ग्रहण नहीं करेंगे। अतः अग्रिम ट्रेप कार्यवाही किया जाना संभव नही है। तत्पश्चात पूर्व में पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री मोहम्मद सिद्धीक मन्सूरी हाल वरिष्ठ सहायक एवं श्री नवीन कुमार हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द उपस्थित कार्यालय आए। जिस पर कार्यालय में मौजुद दोनो गवाहान का परिवादी श्री सुरेश कुमार से आपस में परिचय करवाया गया। दोनो स्वतंत्र गवाहान को की जाने वाली कार्यवाही में बतौर गवाह रहने की सहमति चाही गई जिस पर दोनों गवाहान ने गोपनीय कार्यवाही में बतोर गवाहान के रूप में उपस्थित रहने हेतु अपनी–अपनी सहमति दी तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित प्रार्थना पत्र पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय 05.50 पीएम पर कार्यालय के मालखाने में सुरक्षित रखे हुये डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को निकलवाया जाकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान परिवादी एवं आरोपी श्री पारसमल पुलिस उप निरीक्षक, पुलिस थाना देवगढ जिला राजसमन्द के मध्य दिनांक 17.10.2022 को हुई वार्तालाप, जिसे नियमानुसार ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को कम्प्युटर से कनेक्ट कर परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् पुलिस उप अधीक्षक के निर्देशन में श्री भंवरदान कानि नम्बर 414 द्वारा उपरोक्त वार्ता की फर्द ट्रांसकिप्ट मूर्तिब की गई तथा उक्त वार्ता की मूल एवं डब सीडी श्री भंवरदान कानि नम्बर 414 द्वारा तैयार की गई। तथा उपस्थितिन के समक्ष मूल सीडी को चलाकर सुना गया तो परिवादी ने उक्त वार्ता में एक आवाज अपनी स्वयं की तथा दुसरी आवाज आरोपी श्री पारसमल थानेदार, पुलिस थाना देवगढ जिला राजसमन्द की होना बताया। तथा मूल सीडी पर परिवादी, दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं मन् पुलिस उप अधीक्षक के द्वारा हस्ताक्षर कर नियमानुसार सफेद कपड़े की थैली में सिलचिट की गई। फर्द ट्रांसकिप्ट पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। तथा मूल सीडी एवं डब सीडी को कार्यालय में सुरक्षित रखवाई गई। तत्पश्चात परिवादी एवं आरोपी श्री पारसमल के मध्य पुलिस थाना देवगढ में दिनांक 17.10.2022 को हुई मांग सत्यापन वार्ता का मेमोरी कार्ड उक्त कार्यवाही में वजह सबूत जप्त किया गया जिसकी फर्द जप्ती पृथक से मुर्तिब की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष बाद सम्पूर्ण कार्यवाही के कार्यवाही में प्रयुक्त सील को पत्थर से तोडकर कूटकर नष्ट किया जाकर कार्यालय के बाहर फिकवाई गई। फर्द नष्टीकरण जुदागाना तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात परिवादी व स्वतंत्र गवाहान को आवश्यक हिदायत कर रूखसत किया गया। तथा उक्त कार्यवाही के हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किए गए।

अब तक की सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री सुरेश कुमार व उसके छोटे भाई श्री शांतिलाल उसके बडे पापा श्री भेरूलाल जी व उनके लडके श्री छोटुलाल व सुखदेव के खिलाफ पुलिस थाना देवगढ पर प्रकरण संख्या 136/22 दर्ज हैं। उक्त प्रकरण में अनुसंधान

अधिकारी श्री पारसमल पुलिस उप निरीक्षक पुलिस थाना देवगढ द्वारा उक्त प्रकरण को रफा–दफा करने के नाम पर परिवादी श्री सुरेश कुमार व उसके बडे पिताजी श्री भेरूलाल जी सालवी से बतौर रिश्वत 10,000/– दस हजार रूपयों की मांग करना तथा दिनांक 17.10.2022 को हुई मांग सत्यापन वार्ता के दौरान आरोपी श्री पारसमल द्वारा रिश्वत राशि 10,000 रूपये में से एक–एक हजार रूपये माफ करने के बाद कुल 8000 रूपये की मांग कर 4000–4000 रूपये परिवादी श्री सुरेश कुमार व उसके बडे पापा श्री भेरूलाल जी को देने के लिये कहना व दौराने मांग सत्यापन परिवादी से 2000 रूपये व उसके बडे पापा श्री भेरूलाल जी से 3000 रूपये कुल 5000 रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त करना तथा शैष रिश्वत राशि 3,000 रूपये एक दो–दिन में प्राप्त करने हेतु सहमत होना। ट्रेप कार्यवाही से पूर्व परिवादी श्री सुरेश कुमार द्वारा बार–बार आरोपी श्री पारसमल पुलिस उप निरीक्षक से मिलने का प्रयास करने के बावजुद आरोपी द्वारा परिवादी से नहीं मिलना व आरोपी को परिवादी पर संदेह होना एवं परिवादी के बताये अनुसार आरोपी पारसमल पुलिस उप निरीक्षक को उसके विरूद्ध की जा रही ट्रेप कार्यवाही की भनक लग जाने से अग्रिम ट्रेप कार्यवाही नहीं हो सकी।

इस प्रकार आरोपी श्री पारसमल पुलिस उप निरीक्षक, पुलिस थाना देवगढ जिला राजसमन्द के द्वारा एक लोकसेवक होते हुये अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से परिवादी श्री सुरेश कुमार से दिनांक 17.10.2022 को मांग सत्यापन वार्ता के दौरान रिश्वत राशि 10,000 रूपये की मांग कर एक–एक हजार रूपये माफ करने के बाद कुल 8000 रूपये की मांग कर 4000–4000 रूपये परिवादी श्री सुरेश कुमार व उसके बडे पापा श्री भेरूलाल जी को देने के लिये कहना व दौराने मांग सत्यापन परिवादी से 2000 रूपये व उसके बडे पापा श्री भेरूलाल जी से 3000 रूपये कुल 5000 रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त करना तथा शैष रिश्वत राशि 3,000 रूपये एक दो–दिन में प्राप्त करने हेतु सहमत होना, आरोपी का उक्त कृतय प्रथम दृष्टया जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 के तहत प्रमाणित पाया गया।

अतः आरोपी श्री पारस मल खटीक पुत्र श्री रतन लाल खटीक निवासी पलाना कलां, पुलिस थाना मावली, जिला उदयपुर तत्कालिन उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना देवगढ, जिला राजसमन्द हाल रिजर्व पुलिस लाईन राजसमन्द के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन मुख्यालय प्रेषित है ।

भवदीय

(अनूप सिंह)
पुलिस उप अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
राजसमन्द

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अनूप सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमन्द ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री पारस मल खटीक पुत्र श्री रतन लाल खटीक, तत्कालीन उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना देवगढ जिला राजसमन्द हाल रिजर्व पुलिस लाईन राजसमन्द के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 470/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट की नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

12.12.22

(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 4026-29 दिनांक 12.12.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. महानिरीक्षक पुलिस, उदयपुर रेंज, उदयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमंद।

12.12.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।